बिहार सरकार

उद्योग विभाग

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना।

कोटेशन आमंत्रण सूचना

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के IDPH योजनांतर्गत जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के अवसर पर हस्तशिल्प पर आधारित पुस्तिका "**बिहार के लोकशिल्प**" के प्रकाशन हेतु मुद्रकों/प्रकाशकों से निम्न शर्तो के तहत मुहरबंद कोटेशन दिनांक **18.03.2020** को अपराह्न **03.00** बजे तक आमंत्रित किया जाता है। कोटेशन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय–कक्ष में उसी दिन अपराह्न **04.00** बजे खोली जायगी, जिसमें कोटेशनदाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि शामिल हो सकते है।

(1) संबंधित पुस्तिका की कुल 1000 प्रतियो का हिन्दी–अंग्रेजी एवं हिन्दी–जापानी भाषा में उसका अनुवाद करते हुए मुद्रण किया जाना है।
(2) 8"×8" आकार में पुस्तिका मुद्रित होगी। पुस्तिका बहुरंगी आवरण में होगी।
(3) पुस्तक का मुद्रण बहुरंगी में होगा। पृष्ट Imported paper, ultra white, textured **या** Rendezvous super white 130 जी.एस.एम. एवं आवरण पृष्ठ 250 जी.एस.एम./मैट लेमिनेशन सहित।
(4) पुस्तिका के प्रत्येक पृष्ठ के साथ 1–2 उत्कृष्ट फोटोग्राफ्स रहना अनिवार्य है।
(5) पुस्तक की छपाई स्कैनिंग–प्लानिंग सहित होगी। (डिजाईन एवं फ्रूफ रीडिंग सहित)।
(6) यह पुस्तिका लगभग 50 पृष्ठ की होगी। पृष्ठो की संख्या धट–बढ़ सकती है।
(7) कोटेशन देने के पूर्व मुद्रक/प्रकाशक किसी भी कार्य–दिवस को कार्यालय अवधि में पाण्डुलिपि देख सकते है।

कोटेशन की शर्तें :–

(1) सीलबंद कोटेशन द्वि–लिफाफा पद्वति के अन्तर्गत होगा। इसमें तकनीकी एवं वित्तीय कोटेशन के उल्लेख के साथ दो अलग–अलग सीलबंद लिफाफा होगा। दोनों सीलबंद लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रखकर उसे सीलबंद कर समर्पित करना होगा।
(2) कोटेशनदाताओं द्वारा उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, के नाम से 10000.00 रू0 (दस हजार रू0 मात्र) का बैंक ड्रॉफ्ट/बैंक गारन्टी अग्रधन राशि के रूप में जमा करना होगा।
(3) मुद्रण में उपयोग किये जाने वाले 130 जी.एस.एम. एवं 250 जी.एस.एम. कागज का नमूना।
(4) **GST** निबंधन प्रमाण–पत्र एवं साथ ही दिसम्बर, 2019 का **GST** रिर्टन का प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
(5) वित्तीय वर्ष 2018–19 का आयकर रिर्टन की छायाप्रति।
(6) प्रतिष्ठान/प्रोप्राइटर के पैन कार्ड की छायाप्रति।
(7) विगत तीन वर्षो का सरकारी/ अद्धसरकारी मुद्रण/प्रकाशन अनुभव संबंधी कागजात की छायाप्रति।
(8) कोटेशन लिफाफा में सभी कागजात कोटेशनदाता द्वारा हस्ताक्षरित कर संलग्न किया जायेगा। मांगे जाने पर कोटेशन में समर्पित कागजातों की मूल प्रति कोटेशनदाता द्वारा उपलब्ध कराना होगा।
(9) अपूर्ण कोटेशन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा।
(10) तकनीकी रूप से योग्य की वित्तीय कोटेशन पर विचार किया जायेगा।
(11) सफल कोटेशनदाता द्वारा मुद्रित पुस्तिका की आपूर्ति इस कार्यालय को की जायेगी तथा इसके लिए अलग से यात्रा व्यय/भाड़ा इत्यादि देय नहीं होगा।
(12) सफल कोटेशनदाता की अग्रधन राशि एवं सुरक्षित जमा राशि का बैंक ड्राफ्ट आपूर्ति एवं इसके भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने तक रोक रखी जायेगी। अन्य कोटेशनदाताओं का अग्रधन तीस कार्य दिवसों के अन्तर्गत हाथों–हाथ (समुचित पहचान के उपरान्त) वापस कर दिया जायेगा।
(13) कोटेशन प्रक्रिया को बिना पूर्व सूचना के पूर्णतः/अंशतः संशोधित/रद्द करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित है।
(14) कोटेशन प्रारूप कार्यालय के सूचना पट् पर एवं संस्थान के वेबसाइट www.umsas.org.in पर उपलब्ध है।

नोटः–दर 1000 प्रति के अनुसार एक प्रति का मूल्य अंकित करना होगा। वास्तविक मुद्रण में पृष्ठों की संख्या बढ़ाने या घटने पर भुगतान स्वीकृत दर के अनुपातिक होगा।

निदेशक,
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,
पटना।

ज्ञापांक 538 / पटना, दिनांक 3-3-2020

प्रतिलिपि– संस्थान के सूचनापट पर चिपकाने एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/3/2020
निदेशक
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,
पटना।

Desktop /Vikash/ Letter A-617